

अनुबंध II
भाग ए
संकलन के लिए नोट और निर्देश
तुलन पत्र

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
पूंजी	1		राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए पूंजी (केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)	विश्व बैंक परियोजनाओं में भाग लेने के लिए सरकार से योगदान, यदि कोई हो, सहित केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली पूंजी को बैलेंस शीट की दिनांक पर दर्शाया जाएगा।
			भारत के बाहर निगमित बैंकों के लिए पूंजी	आरबीआई द्वारा निर्धारित स्टार्ट-अप पूंजी के माध्यम से बैंकों द्वारा लाई गई राशि को इस शीर्ष के तहत दर्शाया जाना चाहिए। बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उप-धारा 2 के तहत आरबीआई के पास रखी गई जमा राशि को भी दर्शाया जाना चाहिए। बीआर अधिनियम की धारा 11(2)(बी)(i) के तहत धारित और सीआरएम के रूप में निर्धारित राशि का खुलासा अनुसूची 1: तुलन-पत्र में पूंजी में एक नोट के माध्यम से नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा: "बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(2) के तहत धारित जमा राशि में से ₹... (पिछले वर्ष: ₹...) को प्रधान कार्यालय (विदेशी शाखाओं सहित) के गैर-केंद्रित रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्सपोजर को ऑफसेटिंग के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) के रूप में पदनामित किया गया है और इसे विनियामकीय पूंजी और किसी भी अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के लिए नहीं गिना गया है।"
			अन्य बैंकों के लिए प्राधिकृत पूंजी (_____ रूपये प्रति शेयर वाले _____ शेयर) जारी पूंजी (_____ रूपये प्रति शेयर वाले _____ शेयर) अभिदत्त पूंजी (_____ ₹. के _____ शेयर) कॉल-अप पूंजी (प्रत्येक _____ ₹. के _____ शेयर) घटाइए: अदत्त मांग जोड़ीए: समग्रहृत शेयर	अधिकृत, निर्गमित, अभिदानित, आकलित पूंजी अलग से दी जाएगी। बकाया कॉलों की कॉल-अप पूंजी से कटौती की जाएगी, जबकि जब्त किए गए शेयरों के चुकता मूल्य को इस प्रकार चुकता पूंजी पर पहुंचने के लिए जोड़ा जाएगा। जहां आवश्यक हो, जिन वस्तुओं को जोड़ा जा सकता है, उन्हें एक शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा, उदाहरण के लिए 'जारी और अभिदान पूंजी'। <u>नोट - सामान्य:</u> 1. उपरोक्त मदों में परिवर्तन, यदि कोई हो, जैसे, वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा किया गया नया योगदान, पूंजी का नया मुद्रा, रिजर्व का पूंजीकरण, आदि को नोट में समझाया जाएगा। 2. टियर 1 विनियामकीय पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस) को यहां शामिल किया जाएगा।
आरक्षितिया और अधिशेष	2	(I)	कानूनी आरक्षितिया	धारा 17(1), 11(2)(b)(ii) (इस मास्टर निर्देश के अध्याय VI के पैराग्राफ 17 के साथ पठित) या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की किसी अन्य धारा के अनुपालन में लाभ से सृजित रिजर्व का अलग से खुलासा किया जाएगा।

		(II)	पूँजी आरक्षितिया	अभिव्यक्ति 'पूँजीगत भंडार' में लाभ और हानि खाते के माध्यम से वितरण के लिए मुफ्त मानी जाने वाली कोई भी राशि शामिल नहीं होगी। पुनर्मूल्यांकन पर अधिशेष पूँजी भंडार के रूप में माना जाएगा। विदेशी शाखाओं (जिसमें अचल संपत्ति भी शामिल है) के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर अधिशेष पुनर्मूल्यांकन आरक्षित नहीं है।
		(III)	शेयर प्रीमियम	शेयर पूँजी के निर्गम पर प्रीमियम इस शीर्ष के अंतर्गत अलग से दिखाया जाएगा।
		(IV)	राजस्व और अन्य आरक्षितिया	अभिव्यक्ति 'राजस्व आरक्षित' का अर्थ कैपिटल रिजर्व के अलावा कोई भी अन्य रिजर्व होगा। इस मद में अलग-अलग वर्गीकृत के अलावा अन्य सभी रिजर्व शामिल होंगे। अभिव्यक्ति 'आरक्षित' में मूल्यहास, नवीनीकरण या संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए या किसी ज्ञात देयता के लिए प्रदान करने के माध्यम से रखी गई किसी भी राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। निवेश रिजर्व खाता और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व इस शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा।
		(V)	लाभ और हानि खाते का अधिशेष	विनियोग के बाद लाभ का संतुलन शामिल है। हानि के मामले में शेष राशि को कटौती के रूप में दिखाया जाएगा। <u>नोट्स - सामान्य:</u> विभिन्न श्रेणियों के रिजर्व में संचलनों को अनुसूची में संकेत के अनुसार दिखाया जाएगा।
निक्षेप	3	ए.1)	मांग निक्षेप	
		(i)	बैंकों से	मांग पर चुकाने योग्य सभी बैंक जमा शामिल हैं।
		(ii)	अन्यों से	गैर-बैंक क्षेत्रों के सभी मांग जमा शामिल हैं। ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट शेष, कैश क्रेडिट खातों, कॉल पर देय जमा, अतिदेय जमा, निष्क्रिय चालू खाते, परिपक्व समय जमा, नकद प्रमाण पत्र और जमा के प्रमाण पत्र आदि इस श्रेणी के तहत शामिल किए जाएंगे।
		(II)	बचत बैंक निक्षेप	सभी बचत बैंक जमा शामिल हैं (निष्क्रिय बचत बैंक खातों सहित)
		(III)	सावधि निक्षेप	
		(i)	बैंकों से	एक निर्दिष्ट अवधि के बाद चुकाने योग्य सभी प्रकार के बैंक जमा शामिल हैं।
		(ii)	अन्यों से	एक निर्दिष्ट अवधि के बाद चुकाने योग्य गैर-बैंक क्षेत्र की सभी प्रकार की जमा राशि शामिल है। सावधि जमा, संचयी और आवर्ती जमा, नकद प्रमाण पत्र, जमा के प्रमाण पत्र, वार्षिकी जमा, विभिन्न योजनाओं के तहत जुटाए गए जमा, साधारण कर्मचारी जमा, विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा खाते आदि को इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
		बी.1) ii)	भारत में शाखाओं के निक्षेप भारत से बाहर शाखाओं के निक्षेप	इन दोनों मदों का योग तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल जमाराशियों से मेल खाना चाहिए।

				<u>नोट - सामान्य:</u> 1. जमाराशियों पर देय ब्याज जो उपार्जित है लेकिन देय नहीं है उसे शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि अन्य देनदारियों के तहत दिखाया जाएगा। 2. परिपक्व मीयादी जमाराशियों को मांग जमाराशियों के रूप में माना जाएगा। 3. विशेष योजनाओं के अंतर्गत जमाराशियों को सावधि जमा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा यदि वे मांग पर देय नहीं हैं। जब ऐसी जमाराशियां भुगतान के लिए परिपक्व हो जाती हैं, तो उन्हें मांग जमा के तहत दिखाया जाएगा। 4. बैंकों की जमाराशियों में भारत में बैंकिंग प्रणाली से जमा, सहकारी बैंक, विदेशी बैंक शामिल होंगे जिनकी भारत में उपस्थिति हो भी सकती है और नहीं भी।
उधार	4	(I)	भारत में उधार	
		(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त रेपो, अन्य उधार या पुनर्वित्त शामिल है।
		(ii)	अन्य बैंक	इसमें रेपो, बैंकों से प्राप्त अन्य उधार या पुनर्वित्त (सहकारी बैंकों सहित) और रेपो खाते में शेष शामिल हैं।
		(iii)	अन्य संस्थान व अभिकरण	इसमें भारतीय निर्यात-आयात बैंक, नाबार्ड और अन्य संस्थानों, एजेंसियों (भागीदारी प्रमाणपत्रों के लिए देयता सहित-जोखिम साझा किए बिना, यदि कोई हो) से प्राप्त उधार/पुनर्वित्त और रेपो खाते में शेष शामिल हैं।
		(II)	भारत के बाहर उधार	भारतीय शाखाओं के भारत के बाहर से उधार के साथ-साथ विदेशी शाखाओं के उधार भी शामिल हैं।
			ऊपर में में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	यह मद अलग से दिखाई जाएगी। भारत और भारत के बाहर सुरक्षित उधार/पुनर्वित्त शामिल है।
				<u>नोट्स - सामान्य:</u> 1. I और II के कुल को बैलेंस शीट में दिखाए गए कुल उधार से मेल खाना चाहिए। 2. अंतर-कार्यालय लेनदेन को उधार के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। 3. विदेशी शाखाओं द्वारा जमा प्रमाणपत्रों, नोटों, बांडों आदि के माध्यम से जुटाई गई निधियों को दस्तावेज़ीकरण के आधार पर 'जमा', 'उधार' आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 4. बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक और विभिन्न संस्थानों से प्राप्त पुनर्वित्त को 'उधार' शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा। तदनुसार, अग्रिमों को परिसंपत्ति पक्ष पर सकल राशि पर दिखाया जाएगा। 5. निम्नलिखित को यहां शामिल किया जाएगा: ए) स्थायी ऋण लिखत - बी) टियर 2 कैपिटल इंस्ट्रुमेंट्स / अपर टियर 2 कैपिटल इंस्ट्रुमेंट्स - सी) स्थायी संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस) - डी) प्रतिदेय गैर-संचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस) ई) प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस) - एफ) अधीनस्थ ऋण।

अन्य देनदारियों तथा प्रावधान	5	(I)	सदेय बिल	इसमें ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ट्रेवलर्स चेक, देय मेल ट्रांसफर, पे स्लिप, बैंकर्स चेक और अन्य विविध मद शामिल हैं।
		(II)	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	अंतर-कार्यालय समायोजन शेष, यदि क्रेडिट में है, इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाएगा। बैंक को पहले अंतर-शाखा खाते में 5 वर्षों से अधिक के लिए बकाया क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करना चाहिए और उन्हें एक अलग अवरुद्ध खाते में स्थानांतरित किया जाए जिसे 'अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य' के तहत दिखाया जाए। यहां शामिल करने के लिए अंतर-शाखा लेनदेन की शुद्ध राशि, या अनुसूची 11, जैसा भी मामला हो, की गणना करते समय, अवरुद्ध खाते की कुल राशि को बाहर रखा जाना चाहिए और केवल शेष क्रेडिट प्रविष्टियों को दर्शानेवाली राशि को डेबिट प्रविष्टियों के विरुद्ध नेट किया जाए। अंतर-कार्यालय खातों की केवल शुद्ध स्थिति, अंतर्देशीय और साथ ही विदेशी, यहां दिखाई जाएगी।
		(III)	अर्जित ब्याज	इसमें अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन जमा और उधार पर देय नहीं है।
		(IV)	अन्य (प्रावधान सहित)	आयकर और अन्य करों जैसे ब्याज कर (कम अग्रिम भुगतान, स्रोत पर कर कटौती, आदि), आस्थगित कर (यदि नेटिंग के बाद एएस-22 के अनुसार देयता है), अस्थायी प्रावधान, आकस्मिक निधि जो कि रिज़र्व के रूप में दर्शाई नहीं गई हैं, लेकिन वास्तव में रिज़र्व की प्रकृति में हैं, अन्य देनदारियां जो किसी भी प्रमुख शीर्ष के तहत प्रकट नहीं की जाती हैं जैसे दावा न किए गए लाभांश, प्रावधान और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रखी गई धनराशि, असमाप्त छूट, बकाया शुल्क जैसे किराया, वाहन, आदि के लिए शुद्ध प्रावधान शामिल हैं। जमाराशियों के प्रकार जैसे कर्मचारी सुरक्षा जमा, मार्जिन जमा, आदि, जहां चुकौती मुफ्त नहीं है, को भी इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। एक अलग ब्लॉक किए गए खाते में अंतरित समाशोधन अंतर में सकल शुद्ध क्रेडिट को यहां दिखाया जाएगा। ब्लॉक खाते में स्थानांतरित किए गए नोस्टो खातों में बकाया क्रेडिट प्रविष्टियां भी यहां दिखाई जाएंगी। नोट - सामान्य: 1. अंतर-कार्यालय समायोजन के निवल शेष की गणना करने के लिए सभी संबद्ध अंतर-कार्यालय खातों को एकत्र किया जाएगा और केवल शुद्ध शेष को दिखाया जाएगा, जो पारगमन और असमायोजित मदों में अधिकतर मदों को दर्शाता हो। 2. सभी जमाराशियों पर उपार्जित ब्याज, चाहे भुगतान देय हो या नहीं, को देयता के रूप में माना जाएगा। 3. यह केवल जमाराशियों को शीर्ष 'जमा' के तहत दिखाने का प्रस्ताव है और इसलिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आकस्मिक निधियों आदि के लिए सभी अधिशेष प्रावधान, जो संबंधित परिसंपत्तियों के खिलाफ निवल नहीं किए गए

				हैं, उन्हें 'अन्य (प्रावधानों सहित) ' शीर्ष के तहत लाया जाएगा। 4. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान सकल अग्रिमों से नहीं घटाए जाएंगे और तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य ' के तहत 'मानक परिसंपत्तियों के खिलाफ प्रावधान 'के रूप में अलग से दिखाए जाएंगे। 5. जहां कहीं भी "अन्य (प्रावधानों सहित)" के अंतर्गत कोई मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक हो, खातों की टिप्पणियों में ऐसी सभी मदों का विवरण प्रकट किया जाएगा।
आस्तियां				
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6	(I)	हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	हाथ में नकदी जिसमें विदेशी मुद्रा नोट तथा विदेशी शाखाओं वाले बैंकों की विदेशी शाखाओं द्वारा हाथ में नकदी शामिल है।
		(II)	भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष (i) चालू खातों में (ii) अन्य खातों में	
बैंकों के साथ शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	(I) (i) (ए) (बी)	भारत में (i) बैंकों में अतिशेष (ए) चालू खातों में (बी) अन्य जमा खातों में	जैसा कि नीचे बताया गया है, मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि को छोड़कर, भारत में बैंकों के साथ सभी शेष राशि (सहकारी बैंकों सहित) को शामिल करता है। चालू खाते और अन्य जमा खातों में शेष राशि अलग से दिखाई जाएगी।
		(ii) (ए) (बी)	मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (ए) बैंकों के पास (बी) अन्य संस्थानों में	यदि वे मूल अवधि के लिए हैं और इसमें 14 दिन शामिल हैं तो इसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं: (i) मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में उधार दिया गया धन (ii) रिवर्स रेपो रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को अनुसूची 7 के तहत मद I (ii) ए या I (ii) बी के तहत उपयुक्त के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। रिवर्स रेपो, जिसकी मूल अवधि 14 दिनों से अधिक हैं, को अनुसूची 9- अग्रिम के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
		(II) (i) (ii) (iii)	भारत के बाहर (i) चालू खातों में (ii) अन्य जमा खातों में (iii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	शेष राशि शामिल है: (i) बैंक की विदेशी शाखाओं द्वारा धारित; तथा (ii) बैंक की भारतीय शाखाओं द्वारा भारत के बाहर आयोजित किया जाता है। बैंक की भारतीय शाखाओं द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं के साथ रखे गए शेष इस शीर्ष के अंतर्गत नहीं दिखाए जाएंगे। इसके बजाय, इस तरह के शेष को अंतर-शाखा खातों में शामिल किया जाएगा। 'चालू खाते' और 'जमा खाते' में रखी गई राशि अलग-अलग दिखाई जाएगी।

				भारत के बाहर ' मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि ' में आमतौर पर उस विदेशी क्षेत्राधिकार के कानूनों, विनियमों, या बाजार प्रथाओं, जहां मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि जहां ऐसा पैसा उधार दिया जाता है के अनुसार वर्गीकृत जमा राशि शामिल होती है ।
विनिधान	8	(I)	भारत में विनिधान	
		(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और सरकारी खजाना बिल शामिल हैं।
		(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियां, जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ए) के तहत रिजर्व बैंक द्वारा 'अनुमोदित प्रतिभूतियों' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, को यहां शामिल किया जाएगा।
		(iii)	शेयर	मद (ii) में शामिल नहीं की गई कंपनियों और निगमों के शेयरों में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।
		(iv)	डिबेंचर और बंध पत्र	मद (ii) में शामिल नहीं किए गए कंपनियों और निगमों के डिबेंचर ⁵ और बांड में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।
		(v)	अनुषंगियों और/अथवा सह उद्यम	सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (आरआरबी सहित) में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।
		(vi)	अन्य	अवशिष्ट निवेश, यदि कोई हो, जैसे म्युचुअल फंड, सोना, आदि।
		(II)	भारत के बाहर निवेश	
		(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं)	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रतिभूतियों सहित सभी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
		(ii)	विदेश में अनुषंगियों और/अथवा उद्यम	भारत से बाहर और/अथवा विदेश में संयुक्त उद्यमों की सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी में किए गए सभी निवेशों को इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
		(iii)	अन्य विनिधान	भारत के बाहर अन्य सभी निवेश इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाए जाएंगे।
अग्रिम	9	ए.(i)	क्रय किए गए और मिति काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र	धारा ए के तहत वर्गीकरण में, भारत के साथ-साथ भारत के बाहर सभी बकाया अग्रिमों को किए गए प्रावधानों के अनुसार, तीन शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा और इसमें सुरक्षित और असुरक्षित दोनों अग्रिमों के साथ-साथ अतिदेय किस्में शामिल होंगी। फैक्टरिंग के तहत प्राप्त प्राप्तियों को "खरीदे गए और भुनाए गए बिल" के तहत रिपोर्ट किया जाएगा।
		(ii)	रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रति सदेय उधार	मांग पर चुकाए जाने वाले सभी ऋण और एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋणों को "नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण" के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि को इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। क्रेडिट परिचालन से संबंधित अन्य शेष, भले ही वे अन्य

⁵ जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा परिभाषित किया गया है

		(iii) सावधि उधार	बैंकों/संगठनों से देय हों, अग्रिमों के हिस्से के रूप में दिखाए जाएंगे। हालांकि, जहां इस तरह के बकाया शुल्क या अन्य राजस्व प्राप्त करने योग्य प्रकृति में हैं, उन्हें अन्य संपत्तियों के रूप में दिखाया जा सकता है। सावधि ऋण 'एक ऐसा ऋण है जिसकी एक निश्चित परिपक्वता होती है और यह किश्तों या बुलेट रूप में देय होता है। एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाले सभी मीयादी ऋणों को इस श्रेणी (अर्थात् ए (iii)) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋण मांग पर चुकौती योग्य ऋण के रूप में होंगे।
	बी.(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	सभी अग्रिम या अग्रिमों का हिस्सा, जिसमें बही ऋणों के प्रति अग्रिम शामिल हैं, जो मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित हैं, यहां दिखाए जाएंगे। इस मद में भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित अग्रिम शामिल होंगे। बैंक विशेष रूप से इंगित करेगा कि मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित अग्रिमों में बही ऋणों के प्रति अग्रिम शामिल हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है: "बी (i) मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित * (* पुस्तक ऋण पर अग्रिम शामिल हैं: ₹....., (पिछला वर्ष: ₹.....))"
	(ii)	बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित	भारत और भारत के बाहर अग्रिमों को भारतीय/विदेशी सरकारों, भारतीय/विदेशी बैंकों, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) की गारंटियों द्वारा कवर की गई सीमा तक यहां शामिल किया जाएगा।
	(iii)	अप्रतिभूत	(i) और (ii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सभी अग्रिमों को यहां शामिल किया जाएगा। बैंकों को संपार्श्विक के रूप में प्रभारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि को मूर्त सुरक्षा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए इस शीर्ष के तहत ऐसे अग्रिमों को खाते में नोटों में प्रकटीकरण के साथ गैर-जमानती माना जाएगा। 'ए' का योग 'बी' के योग से मेल खाना चाहिए।
	सी. (I) (i) (ii) (iii) (iv) (II) (i) (ii) (iii)	भारत में अग्रिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सरकारी क्षेत्र बैंक अन्य भारत के बाहर अग्रिम बैंकों से शोध अन्यों से शोध क्रय किए गए और मित्ती	अग्रिमों को मोटे तौर पर 'भारत में अग्रिम' और 'भारत के बाहर अग्रिम' में वर्गीकृत किया जाएगा। भारत में अग्रिमों को आगे बताए गए अनुसार क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिम, जो भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है। ऐसे अग्रिमों को मद (ii) अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों से बाहर रखा जाएगा। केंद्र/राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों सहित अन्य सरकारी उपक्रमों को दिए गए अग्रिमों को "सार्वजनिक क्षेत्र" श्रेणी में शामिल किया

		(iv) (v)	काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र सिंडिकेटेड ऋण अन्य	जाएगा। सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग क्षेत्र के सभी अग्रिम 'बैंक' शीर्ष के अंतर्गत आएंगे। शेष सभी अग्रिमों को शीर्ष 'अन्य' के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और आम तौर पर इस श्रेणी में निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्रों के लिए गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम शामिल होंगे। <u>नोट्स - सामान्य:</u> 1. अग्रिमों की सूचना उन पर किए गए प्रावधानों (मानक आस्तियों के प्रावधानों के अलावा) को मिलाकर दी जाएगी। जहां तक अस्थायी प्रावधानों को टियर 2 पूंजी के रूप में नहीं माना गया है, उन्हें भी अग्रिमों से निवलिप्त किया जाएगा। 2. रिपोर्ट किए गए सावधि ऋण में मांग पर चुकाए जाने योग्य ऋण शामिल नहीं होंगे। 3. संघीय अग्रिमों को अन्य सहभागी बैंकों/संस्थाओं के हिस्से के निवल प्रतिवेदित किया जाएगा। 4. बैंक के अपने स्टाफ को दिए गए सभी ब्याज वाले ऋण और अग्रिम यहां शामिल किए जाएंगे। 5. अन्य बैंकों/संगठनों को दिए गए अग्रिम यहां शामिल किए जाएंगे। 6. अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं यहां परिलक्षित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, इसे अन्य संपत्तियों में "ब्याज अर्जित" के तहत दिखाया जाए। 7. बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं सहित) के संबंध में सुरक्षा/संपार्श्विक के रूप में प्रभारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि को मूर्त सुरक्षा के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसे अग्रिमों को गैर-जमानती के रूप में माना जाएगा। 8. आहरित सीमा तक आंशिक ऋण वृद्धि सुविधाओं को अग्रिम माना जाएगा। 9. जोखिम बंटवारे के साथ अंतर-बैंक भागीदारी की कुल राशि को जारीकर्ता बैंक द्वारा बकाया कुल अग्रिमों में से घटा दिया जाएगा। भाग लेने वाले बैंक अग्रिमों के तहत अंतर-बैंक भागीदारी की राशि दिखाएंगे। जहां भागीदारी में जोखिम का बंटवारा नहीं है, यह भाग लेने वाले बैंक द्वारा अनुसूची 9 के तहत बैंकों से देय के रूप में परिलक्षित होगा।
स्थिर आस्तियां	10	(I) (i) (ii)	परिसर पूर्ववर्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत वर्ष के दौरान परिवर्धन	आवासीय परिसर सहित व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बैंक के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली भूमि सहित परिसर को 'परिसर' के आगे दर्शाया जाएगा। परिसर और अन्य अचल संपत्तियों के मामले में, पिछले शेष, उसमें वृद्धि और वर्ष के दौरान उसमें से कटौती के

		(iii) (iv)	वर्ष के दौरान कटौती आज तक मूल्यह्रास	साथ-साथ कुल मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला जाएगा।
		(II) (i) (ii) (iii)	अन्य स्थिर आस्तियां (इसमें फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं) पिछले वर्ष के 31 मार्च के लागत पर वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौती आज तक मूल्यह्रास	फर्नीचर और फिक्चर, वाहन और अन्य सभी अचल संपत्तियों को इस शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा।
अन्य आस्तियां	11	(I)	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	अंतर-कार्यालय समायोजन शेष, यदि नामे में है तो इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाएगा। अंतर-कार्यालय खातों की केवल शुद्ध स्थिति, अंतर्देशीय और साथ ही विदेशी स्थिति, यहां दिखाई जाएगी। अंतर-कार्यालय समायोजन खातों के निवल शेष की गणना करने के लिए, सभी संबद्ध अंतर-कार्यालय खातों को एकत्र किया जाएगा और निवल शेष, यदि केवल नामे में है, पारगमन और असमायोजित मदों में अधिकतर मदों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया जाएगा। जहां कहीं भी अनुसूची "अन्य" के अंतर्गत कोई मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक हो, खातों की टिप्पणियों में ऐसी सभी मदों का विवरण प्रकट किया जाएगा।
		(II)	अर्जित ब्याज	अर्जित ब्याज लेकिन जो निवेश और अग्रिमों पर देय नहीं है और देय ब्याज लेकिन जो निवेश पर वसूली नहीं किया गया, इस मद के मुख्य घटक होंगे। चूंकि बैंक आम तौर पर तुलन पत्र की तारीख पर देय ब्याज के साथ उधारकर्ताओं के खाते से डेबिट करते हैं, आमतौर पर अग्रिमों पर ब्याज की कोई राशि नहीं होगी। इस शीर्ष के तहत केवल वही ब्याज दिखाया जाएगा जो सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त किया जा सकता है।
		(III)	अग्रिम रूप से सदेत/स्रोत पर कर कटौती	भुगतान किए गए अग्रिम कर की राशि, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), आदि जब तक इस सीमा तक कि इन मदों को संबंधित कर प्रावधानों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता है, उन्हें इस मद के सामने दिखाया जाएगा।
		(IV)	लेखन सामाग्री और स्टैप	स्टेशनरी पर व्यय की केवल अपवादात्मक मदें जैसे सुरक्षा कागज, लूज लीफ या अन्य लेज़रों की थोक खरीद आदि, जिन्हें एक समयावधि में बट्टे खाते में डालने वाली अर्ध-परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, उन्हें यहां दर्शाया जाएगा। मूल्य वास्तविक आधार पर होगा और लागत वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये आइटम आंतरिक उपयोग के लिए हैं।
		(V)	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई बैंककारी आस्तियां	दावों की संतुष्टि में अर्जित अचल संपत्तियों/मूर्त संपत्तियों को इस शीर्ष के तहत दिखाया जाना है।
		(VI)	अन्य	इसमें दावों जैसी मदें जो पूरी नहीं हुई हैं शामिल होंगी,

			उदाहरण के लिए, समाशोधन मर्दे, संपत्ति में वृद्धि को दर्शाने वाली डेबिट मर्दे या देनदारियों में कमी जिन्हें तकनीकी कारणों से समायोजित नहीं किया गया है, विवरण की कमी आदि। ब्याज के अलावा अन्य अर्जित आय को भी यहां शामिल किया जाए। बैंक के कर्मचारियों को दिए गए सभी गैर-ब्याज वाले ऋणों और अग्रिमों की सूचना यहां दी जाएगी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के पास नकद मार्जिन जमा को यहां दिखाया जाएगा। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों में कमी के कारण नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी आदि के पास रखी गई जमाराशियों को यहां शामिल किया जाएगा। बैलेंस शीट की अनुसूची 11 में फुटनोट के रूप में चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए ऐसी जमाराशियों का विवरण भी बैंक उद्धृत करेंगे।	
समाश्रित देयताएं	12	(I)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	--
		(II)	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता	आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, डिबेंचर आदि पर देयता इस शीर्ष में शामिल की जाएगी।
		(III)	बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता	बकाया वायदा विनिमय अनुबंध यहां शामिल किए जाएंगे।
		(IV)	संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां	भारत और भारत के बाहर के घटकों के लिए दी गई गारंटियां अलग से दिखाई जाएंगी।
		(i)	भारत में	
		(ii)	भारत के बाहर	
		(V)	प्रति-ग्रहण पृष्ठकन और अन्य बाध्यताएँ	इस मद में बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार किए गए साख पत्र और बिल शामिल होंगे।
		(VI)	अन्य मर्दे जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	संचयी लाभांश की बकाया राशि, बिलों की पुनर्भुनाई, हामीदारी अनुबंधों की प्रतिबद्धताएं, पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई आदि को यहां शामिल किया जाए। सभी दावा न की गई देनदारियां (जहां बकाया राशि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 के तहत स्थापित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित कर दी गई है) को यहां दिखाया जाएगा। आहरित आंशिक ऋण वृद्धि सुविधाएं यहां दिखाई जाएंगी। जब जारी ('WI') प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के जारी होने तक उन्हें ऑफ बैलेंस शीट आइटम के रूप में बहियों में दर्ज किया जाए। 'WI' बाजार में तुलनपत्र से बाहर की निवल स्थिति को 'WI' प्रतिभूति के दिन के समापन मूल्य

				पर दैनिक आधार पर बाजार में शेयर के अनुसार चिह्नित किया जाए। यदि 'WI' सुरक्षा की कीमत उपलब्ध नहीं है, तो इसके बजाय मौजूदा नियमों के अनुसार निर्धारित अंतर्निहित सुरक्षा के मूल्य का उपयोग किया जा सकता है। मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसे प्रदान किया जाना चाहिए और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाना चाहिए। डिलीवरी होने पर, अंतर्निहित सुरक्षा को , अनुबंधित मूल्य पर होल्ड करने के इरादे के आधार पर तीन श्रेणियों में से किसी एक अर्थात्; 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' या 'ट्रेडिंग के लिए धारित' में वर्गीकृत किया जा सकता है ।
वसूली के लिए बिल	--		--	बिल और अन्य मदें जो वसूली के मार्ग में हैं और समायोजित नहीं की गई हैं उन्हें इस मद में केवल सारांश रूप में दिखाया जाएगा। अलग से कोई अनुसूची प्रस्तावित नहीं है।

लाभ और हानि लेखा

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
अर्जित ब्याज	13	(I)	ब्याज/, अग्रिमो/विनिमयों पात्रों पर ब्याज/मितीकाटा	सभी प्रकार के ऋणों और अग्रिमों जैसे नकद ऋण, मांग ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात ऋण, सावधि ऋण, घरेलू और खरीदे गए विदेशी बिल और भुनाए गए (जिनमें पुनर्भुनाई गई है), ऐसे अग्रिम/बिल पर अतिदेय ब्याज और ब्याज सस्विडी, यदि कोई हो, पर ब्याज और छूट शामिल है।
		(II)	विनिधानों पर आय	ब्याज और लाभांश के रूप में निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त सभी आय शामिल है। एचटीएम सिक्क्योरिटीज के संबंध में परिशोधित प्रीमियम की राशि को यहां कटौती के रूप में दिखाई जाएगी। कटौती का खुलासा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। प्रासंगिक लेखा अवधि के दौरान प्रतिभूति का बही मूल्य परिशोधित राशि की सीमा तक घटाया जाना जारी रहेगा।
		(III)	भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों के साथ शेष राशि पर ब्याज, कॉल ऋण, मुद्रा बाजार प्लेसमेंट आदि शामिल हैं।
		(IV)	अन्य	इसमें अन्य कोई ब्याज/छूट आय शामिल है जो उपरोक्त शीर्षों में शामिल नहीं है।
				नोट : सामान्य रिवर्स रेपो ब्याज आय खाते में शेष राशि को अनुसूची 13 (मद III या IV के तहत यथा उचित) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
अन्य आय	14	(I)	कमिशन, विनिमय और दलाली	इसमें वसूली पर कमीशन, प्रेषण और हस्तांतरण पर कमीशन/एक्सचेंज, क्रेडिट और बैंक गारंटी के पत्रों पर कमीशन, लॉकर को किराए पर देना, सरकारी व्यवसाय पर कमीशन, परामर्श और अन्य सेवाओं सहित अन्य अनुमत एजेंसी व्यवसाय पर कमीशन, प्रतिभूतियों पर दलाली, आदि जैसी सेवाओं पर सभी पारिश्रमिक शामिल है। इसमें विदेशी मुद्रा से आय शामिल नहीं होता। जहां कहीं भी अनुसूची "कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज" के तहत कोई मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो, भुगतान बैंकों द्वारा ऐसे सभी मदों के विवरणों का प्रकटीकरण खातों के नोट में किया जाएगा।
		(II)	विनिधानों के विक्रय पर लाभ <i>कम करें:</i> निवेश पर विक्रय पर हानि विनिधानों के	इसमें प्रतिभूतियों, फर्नीचर, भूमि और भवन, मोटर वाहन, सोना, चांदी, आदि की बिक्री पर लाभ / हानि शामिल है। केवल निवल स्थिति दिखाई जाएगी। यदि निवल स्थिति हानि है, तो राशि को कटौती के रूप में दिखाया जाएगा। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के साथ-साथ मूल्यहास के प्रावधान (या अधिक मूल्यहास का उलट) पर निवल लाभ/हानि भी

		(III)	पुनर्मूल्यांकन पर लाभ कम करें: विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	इस मद के तहत दिखाया जाएगा। गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) का प्रावधान यहां दिखाने के बजाय प्रावधानों और आकस्मिकताओं के तहत दर्शाया जाएगा।
		(IV)	भूमि, भवनो और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ कम करें: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की विक्रय पर हानि	
		(V)	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ घट: विनिमय संव्यवहारों पर हानि	विदेशी मुद्रा में लेनदेन पर लाभ/हानि, विदेशी मुद्रा के माध्यम से अर्जित सभी आय और ब्याज को छोड़कर जो ब्याज शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा, विदेशी मुद्रा लेनदेन पर कम्मीशन और प्रभार। केवल निवल स्थिति दिखाई जाएगी। यदि निवल स्थिति एक हानि है, तो इसे कटौती के रूप में दिखाया जाना है।
		(VI)	विदेश/भारत में स्थापित समनुषंगियों /कंपनियों और/या सह उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	
		(VII)	प्रकिर्ण आय	इसमें घटकों से गोदाम के किराए के लिए वसूली, बैंक की संपत्तियों से आय, प्रतिभूति शुल्क, बीमा आदि और अन्य किसी भी विविध आय शामिल है। यदि इस शीर्ष के अंतर्गत कोई मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है, तो विवरण टिप्पणियों में दिया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट (PSLCs) की बिक्री से प्राप्त शुल्क यहां दिखाया जाएगा।
व्यय किया गया ब्याज	15	(I)	निक्षेपों पर ब्याज	इसमें बैंकों और अन्य संस्थानों से जमा राशि सहित सभी प्रकार की जमाराशियों पर दिया गया ब्याज शामिल है।
		(II)	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों से सभी उधार और पुनर्वित्त पर छूट/ब्याज शामिल है।
		(III)	अन्य	इसमें वित्तीय संस्थानों से सभी उधारों/पुनर्वित्त पर छूट/ब्याज शामिल है। भागीदारी प्रमाण पत्र पर ब्याज, भुगतान किया गया दंडात्मक ब्याज आदि जैसे अन्य सभी भुगतान यहां शामिल किए जाएंगे। नोट : सामान्य 1. रेपो ब्याज व्यय खाते में शेष राशि को अनुसूची 15 (मद II या III के तहत यथा उचित) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। 2. सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों को प्राप्त करते समय, बैंकों को निवेश की लागत के हिस्से के रूप में विक्रेता को भुगतान की गई खंडित अवधि के ब्याज को पूंजीकृत नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक व्यय के रूप में बुक करना चाहिए।

परिचालन व्यय	16	(I)	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था	कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी, भत्ते, बोनस, अन्य कर्मचारी लाभ जैसे भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए पोशाक, छुट्टी किराया रियायतें, कर्मचारी कल्याण, कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता आदि शामिल हैं।
		(II)	भाटक, कर और लाइटिंग	इमारतों पर बैंकों द्वारा भुगतान किया गया किराया, नगरपालिका और भुगतान किए गए अन्य करों (आयकर और ब्याज कर को छोड़कर), बिजली और अन्य समान शुल्क और लेवी शामिल है। कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और इसी तरह के अन्य भुगतान 'कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान' शीर्ष के तहत दिखाई देंगे।
		(III)	मुद्रण और लेखन सामग्री	इसमें बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली किताबें और फॉर्म और स्टेशनरी आइटम और अन्य मुद्रण शुल्क शामिल हैं जो प्रचार व्यय के माध्यम से खर्च नहीं किए जाते हैं।
		(IV)	विज्ञापन और प्रचार	प्रचार सामग्री के मुद्रण शुल्क सहित विज्ञापन और प्रचार उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा किया गया व्यय शामिल है।
		(V)	बैंक की संपत्ति का मूल्यहास	इसमें बैंक की अपनी संपत्ति, कारों और अन्य वाहनों, फर्नीचर, बिजली की फिटिंग, वॉल्ट, लिफ्ट, लीजहोल्ड संपत्ति, गैर-बैंकिंग संपत्ति आदि पर मूल्यहास शामिल है।
		(VI)	निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय	सिटिंग शुल्क, भत्ते और निदेशकों की ओर से किए गए अन्य सभी खर्च शामिल हैं। दैनिक भत्ता, होटल शुल्क, वाहन शुल्क, आदि जो हालांकि खर्च किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में इस शीर्ष के तहत शामिल किए जाएंगे। स्थानीय बोर्ड के सदस्यों, बोर्ड की समितियों आदि के समान व्यय को भी इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
		(VII)	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	इसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान की गई फीस और उनके कर्तव्यों के पालन के लिए आनेवाले सभी खर्च शामिल हैं, भले ही वे खर्चों की प्रतिपूर्ति की प्रकृति के हों। यदि बैंक ने स्वयं आंतरिक निरीक्षणों और लेखा परीक्षा तथा अन्य सेवाओं के लिए बाह्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है तो उस संदर्भ में किए गए व्ययों को, शुल्क सहित, इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।
		(VIII)	विधि प्रभार	सभी कानूनी खर्च और कानूनी सेवाओं के संबंध में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति यहां शामिल की जाएगी।
		(IX)	डाक, महसूल, तार और टेलीफोन, आदि.	सभी डाक शुल्क जैसे स्टैम्प, टेलीफोन आदि शामिल हैं।
		(X)	मरम्मत और अनुरक्षण	बैंक की संपत्ति की मरम्मत, उनके रखरखाव शुल्क आदि शामिल हैं।
		(XI)	बीमा	इसमें बैंक की संपत्ति पर बीमा शुल्क, डीआईसीजीसी को भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम आदि शामिल हैं, जिस

			सीमा तक वे संबंधित पक्षों से वसूल नहीं किए जाते हैं।
	(XII)	अन्य व्यय	लाइसेंस शुल्क, दान, कागजात की सदस्यता, पत्रिकाएं, मनोरंजन व्यय, यात्रा व्यय इत्यादि जैसे किसी भी अन्य शीर्ष में शामिल नहीं होने के अलावा अन्य सभी खर्च इस शीर्ष के तहत शामिल किए जाएंगे। यदि इस शीर्ष के अंतर्गत कोई विशेष मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है, तो विवरण नोटों में दिया जाएगा। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क यहां दिखाया जाएगा।
प्रावधान और आकस्मिकताएं			अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए सभी प्रावधान, कराधान के प्रावधान, गैर-निष्पादित निवेश के प्रावधान, आकस्मिकताओं के लिए स्थानांतरण और अन्य समान मदों को शामिल करता है।

भाग बी

कुछ लेखांकन मानकों संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन

1. लेखांकन मानदण्ड 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधिमर्दे तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

इस मानक का उद्देश्य लाभ और हानि के विवरण में कुछ मदों के वर्गीकरण और प्रकटीकरण को निर्धारित करना है ताकि सभी उद्यम समान आधार पर ऐसा विवरण तैयार और प्रस्तुत करें। तदनुसार, इस मानक में असाधारण और पूर्व अवधि के मदों के वर्गीकरण और प्रकटीकरण और सामान्य गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर कुछ मदों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। यह लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के संबंध में वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटीकरण के लिए लेखांकन उपचार भी निर्दिष्ट करता है। आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों पर विवरणों की प्रस्तावना के पैराग्राफ 4.3 में कहा गया है कि लेखांकन मानकों का उद्देश्य केवल उन मदों पर लागू होता है जो भौतिक हैं। चूंकि भौतिकता को वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों को पूर्व अवधि की आय या पूर्व अवधि के व्यय की किसी भी मद के संबंध में लेखा मानक के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, जो कुल आय/कुल व्यय के एक प्रतिशत से अधिक है, यदि बैंक आय/व्यय की गणना सकल आधार पर की जाती है या कर से पहले निवल लाभ का एक प्रतिशत या निवल हानि जैसा भी मामला हो, अगर आय की गणना लागतों का निवल माना जाता है। चूंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत फॉर्म बी में निर्धारित बैंकों के लाभ और हानि खातों का प्रारूप विशेष रूप से चालू वर्ष के लाभ और हानि पर पूर्व अवधि के मदों के प्रभाव का प्रकटीकरण प्रदान नहीं करता है, ऐसे प्रकटीकरण, जहां कहीं अपेक्षित है, भी बैंकों के तुलन-पत्र में 'लेखों पर टिप्पणियाँ' में किया जा सकता है।

2. लेखांकन मानदण्ड 9 – आगम मान्यता

गैर-निष्पादित अग्रिमों और गैर-निष्पादित निवेशों के मामले में बैंकों द्वारा आय की गैर-मान्यता, भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक निर्देशों के अनुपालन में, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा योग्यता को आकर्षित

नहीं करेगा क्योंकि यह मानक के प्रावधान के अनुरूप होगा, क्योंकि यह राजस्व की मान्यता के स्थगन को मान्यता देता है जहां राजस्व की संग्रहणीयता काफी अनिश्चित है।

3. लेखांकन मानदण्ड 11 - विदेशी विनयम दरो में परिवर्तन के प्रभावो हेतु लेखांकन

एस 11 को विदेशी मुद्राओं में लेनदेन के लिए लेखांकन और विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के परिवर्तन के संदर्भ में लागू किया जाता है। इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाले मुद्दों की पहचान की गई है और मानक के प्रावधानों का अनुपालन करते समय बैंकों को निम्नलिखित द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा:

(I) अभिन्न और गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों का वर्गीकरण

एस 11 के अनुच्छेद 17 में किसी वित्तीय परिचालन को रिपोर्टिंग उद्यम संबंधी उसके वित्तीयन और परिचालन के आधार पर विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों बनाने का तरीका बताया गया है। इस प्रयोजन के लिए, विदेशी परिचालनों को "अभिन्न विदेशी संचालन" या "गैर-अभिन्न विदेशी संचालन" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यहां जो मुद्दा उठता है वह "अभिन्न विदेशी संचालन" या "गैर-अभिन्न विदेशी संचालन" के रूप में विदेशों में स्थापित प्रतिनिधि कार्यालयों, विदेशी शाखाओं और भारत में स्थापित अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के वर्गीकरण से संबंधित है।

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के संचालन और मानक के पैरा 20 में सूचीबद्ध संकेतकों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं, IFSC बैंकिंग यूनिट्स (IBUs) और बैंकों द्वारा भारत में स्थापित ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स (OBUs) को "गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। विदेशों में स्थापित बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों के संचालन और मानक के अनुच्छेद 18 में स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, प्रतिनिधि कार्यालयों को "अभिन्न विदेशी परिचालन" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ये वर्गीकरण मानक के अनुपालन के सीमित उद्देश्य के लिए हैं।

(II) विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने और गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के परिवर्तन के लिए विनिमय दर.

मानक के पैराग्राफ 9 और 21 के अनुसार, एक विदेशी मुद्रा लेनदेन भारतीय शाखाओं और अभिन्न विदेशी परिचालनों द्वारा, रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर, लेन-देन की तिथि पर विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर को लागू करके दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, मानक के पैराग्राफ 24 (बी) में कहा गया है कि गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। भारतीय शाखाओं और बैंकों के अभिन्न विदेशी परिचालनों को उनके व्यापक शाखा नेटवर्क और लेनदेन की मात्रा के कारण उन मदों के संबंध में लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है जो भारतीय रुपये में दर्ज नहीं की जा रही हैं या वर्तमान में एक अनुमानित विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज की जा रही हैं। लेन-देन की तारीखों पर विनिमय दरों को लागू करके गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन की आय और व्यय मदों का अनुवाद करने में बैंकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

जो बैंक अपनी भारतीय शाखाओं में और अभिन्न विदेशी परिचालनों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को लागू करने और एस 11 के तहत अपेक्षित अनुसार गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों के निर्धारण की स्थिति में है, वे अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे। बैंकों, जिनके पास एक व्यापक शाखा नेटवर्क है, विदेशी मुद्रा

लेनदेन की एक बड़ी मात्रा है और तकनीकी मोर्चे पर पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा:

ए) मानक का अनुच्छेद 10, व्यावहारिक कारणों से, उस दर के उपयोग की अनुमति देता है जो लेनदेन की तिथि पर वास्तविक दर का अनुमान लगाता है। मानक में यह भी कहा गया है कि यदि विनिमय दरों में काफी उतार-चढ़ाव होता है, तो एक अवधि के लिए औसत दर का उपयोग अविश्वसनीय है। चूंकि उद्यमों को लेनदेन होने की तारीख पर ही उसको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है, पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर का उपयोग वर्तमान सप्ताह में होने वाले लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है, यदि यह तारीख पर वास्तविक दर का अनुमान लगाता है तो। लेन-देन की तारीखों पर विनिमय दरों को लागू करने में व्यावहारिक दृष्टि से बैंकों को आनेवाली कठिनाइयों को देखते हुए और और चूंकि मानक किसी एक दर के उपयोग की अनुमति देता है जो लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर का अनुमान लगाता है, बैंक नीचे दिए गए अनुसार औसत दरों का उपयोग कर सकते हैं:

बी) एफ़ईडीआई प्रत्येक सप्ताह के अंत में एक साप्ताहिक औसत समापन दर और विभिन्न मुद्राओं के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत में एक त्रैमासिक औसत समापन दर प्रकाशित करता है।

सी) भारतीय शाखाओं और अभिन्न विदेशी परिचालनों के संबंध में, वे विदेशी मुद्रा लेनदेन, जो वर्तमान में लेनदेन की तारीख को भारतीय रुपये में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं या एक काल्पनिक विनिमय दर का उपयोग करके रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, अब एफ़ईडीआई द्वारा प्रकाशित पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर का उपयोग करते हुए लेनदेन की तिथि पर दर्ज किए जाएंगे, यदि यह लेनदेन की तिथि पर वास्तविक दर का अनुमान लगाता है तो।

डी) आम तौर पर, भारतीय बैंक अपनी घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए तिमाही या लंबे अंतराल पर समेकित खाते तैयार करते हैं। इसलिए बैंक तिमाही के दौरान गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों का अनुवाद करने के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत में एफ़ईडीआई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर का उपयोग कर सकते हैं।

ई) यदि पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर लेन-देन की तिथि के वास्तविक दर का लगभग निकट नहीं आती है, तो लेन-देन की तिथि पर समापन दर का उपयोग किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर को लेन-देन की तिथि पर वास्तविक दर का अनुमान लगाने के लिए विचार नहीं किया जाएगा यदि (ए) पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर और (बी) लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर के बीच का अंतर साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक है। गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों के संबंध में, यदि तिमाही के दौरान विनिमय दर का उल्लेखनीय रूप से उतार-चढ़ाव होता है, तो गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों का निर्धारण तिमाही औसत समापन के बजाय लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए यदि दोनों दरों के बीच का अंतर लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर के सात प्रतिशत से अधिक है तो विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को महत्वपूर्ण माना जाएगा।

एफ) बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा लेनदेन के साथ-साथ अभिन्न विदेशी परिचालनों को रिकॉर्ड करने के लिए खुद को सुसज्जित करें और लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों को परिवर्तित करें।

(III) समापन दर

मानक का पैराग्राफ 7 'समापन दर' को बैलेंस शीट की तारीख में विनिमय दर के रूप में परिभाषित करता है। बैंकों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, प्रासंगिक लेखा अवधि के लिए एस 11

(संशोधित 2003) के प्रयोजनों के लिए लागू होने वाली समापन दर उस लेखा अवधि के लिए एफईडीआई द्वारा घोषित विनिमय की अंतिम क्लोजिंग स्पॉट दर होगी।

(IV) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षण (एफसीटीआर)

विदेशी शाखाओं से संचित लाभ/प्रतिधारित आय के प्रत्यावर्तन पर एफसीटीआर से लाभ और हानि खाते में लाभ की मान्यता के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि एस 11 के अनुसार गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन में संचित लाभ के प्रत्यावर्तन को ब्याज के निपटान या आंशिक निपटान के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार, बैंक विदेशी परिचालन से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षण में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं देंगे।

4. लेखांकन मानदण्ड 17 – प्रखण्ड लेखांकन

'एएस 17 – संवर्ग रिपोर्टिंग' के तहत प्रकटीकरण के लिए सांकेतिक प्रारूप नीचे दिए गए हैं: -

फॉर्मेट

भाग अ – कारोबार संवर्ग

(राशि ₹ करोड़ में)

कारोबार संवर्ग	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग कारोबार		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व										
परिणाम										
अनाबंटित खर्चे										
परिचालन लाभ										
आय कर										
असाधारण लाभ/हानि										
निवल लाभ										
अन्य सूचना:										
संवर्ग आस्तियां										
अनाबंटित आस्तियां										
कुल आस्तियां										
संवर्ग देयताएँ										
अनाबंटित देयताएँ										
कुल देयताएँ										

नोट : छायांकित भाग में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है

भाग आ : भौगोलिक संवर्ग

(राशि ₹ करोड़ में)						
	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(□) राजस्व						
(□) आस्तियां						

नोट:

- ए) कारोबार संवर्ग को सामान्यतः प्राथमिक रिपोर्टिंग प्रारूप माना जाएगा और भौगोलिक संवर्ग द्वितीयक रिपोर्टिंग प्रारूप होगा।
- बी) कारोबार संवर्ग 'राजकोष', 'कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग', 'खुदरा बैंकिंग' और 'अन्य बैंकिंग परिचालन' होंगे।
- सी) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संवर्ग प्रकटीकरण के लिए भौगोलिक खंड होंगे।
- डी) खंडों के बीच व्यय के आवंटन के लिए बैंक उचित और सुसंगत आधार पर अपने तरीके अपनाएंगे।
- ई) ट्रेजरी में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो शामिल होगा।
- एफ) खुदरा बैंकिंग में ऐसे एक्सपोजर शामिल होंगे जो बेसल III: पूंजी विनियम (समय-समय पर संशोधित) पर मास्टर निदेश में निर्धारित खुदरा एक्सपोजर के लिए अभिविन्यास, उत्पाद, ग्रैन्युलैरिटी, और व्यक्तिगत एक्सपोजर के कम मूल्य जैसे चार मानदंडों को पूरा करते हैं। एस-17 के तहत रिपोर्टिंग के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण भी खुदरा बैंकिंग खंड का हिस्सा बनेंगे।
- जी) कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग में ट्रस्टों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों और वैधानिक निकायों को दिए जानेवाले सभी अग्रिम शामिल हैं, जो रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं हैं।
- एच) अन्य बैंकिंग कारोबार में अन्य सभी बैंकिंग परिचालन शामिल हैं जो ट्रेजरी, थोक बैंकिंग और खुदरा बैंकिंग सेगमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें अन्य सभी अवशिष्ट परिचालन जैसे पैरा बैंकिंग लेनदेन/गतिविधियां भी शामिल होंगी।
- आई) उपर्युक्त खंडों के अलावा, बैंक "अन्य बैंकिंग कारोबार" के अंतर्गत अतिरिक्त खंडों की रिपोर्ट करेंगे जो रिपोर्ट योग्य संवर्गों की पहचान के लिए एस 17 में निर्धारित मात्रात्मक मानदंड को पूरा करते हैं।

5. लेखांकन मानदण्ड 18 – सम्बद्ध पक्षकार अभिव्यक्ति

एस 18 के पैराग्राफ 23 से 26 के लिए आवश्यक प्रकटीकरण का तरीका नीचे दिखाया गया है। यह ध्यान दिया जाए कि नीचे दिया गया प्रारूप केवल उदाहरण स्वरूप है और संपूर्ण नहीं है।

(राशि ₹ करोड़ में)						
मद/संबन्धित पार्टी	पेरेंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	अनुषंगियाँ	सम्बद्ध/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
उधार #						
जमा राशि#						
जमाराशियों का नियोजन #						
अग्रिम #						

मद/संबन्धित पार्टी	पेरेंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	अनुषंगियाँ	सम्बद्ध/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
निवेश #						
गैर-निधि प्रतिबद्धताएँ #						
लीजिंग/ लाभ उठाए गए एचपी व्यवस्था#						
लीजिंग/प्रदान की गई एचपी व्यवस्था#						
स्थिर आस्तियों की खरीद						
स्थिर आस्तियों की बिक्री						
चुकता ब्याज						
प्राप्त ब्याज						
सेवाएँ प्रदान करना*						
सेवाएँ प्राप्त करना*						
प्रबन्धक ठेके *						

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक और भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं के सीईओ।

वर्ष के अंत में और वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि का खुलासा किया जाना है।

* ठेका सेवाएँ आदि और विप्रेषण सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ आदि जो सेवा नहीं है।

नोट:

- किसी बैंक के लिए संबंधित पक्ष उसके पेरेंट, सहायक (कंपनियां), सहयोगी/संयुक्त उद्यम, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) और केएमपी के रिश्तेदार हैं। केएमपी किसी भारतीय बैंक के लिए पूर्णकालिक निदेशक और भारत में शाखाओं वाले विदेशी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। केएमपी के रिश्तेदार आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 एस में दर्शाई गई अनुसार होंगे।
- जहां मानक के दायरे में नियंत्रण मौजूद है, भले ही कोई कोई लें-देन हुआ हो, संबंधित पार्टी संबंधों के नाम और स्वरूप का खुलासा किया जाएगा। पेरेंट-अनुषंगी संबंधों के मामले में नियंत्रण सामान्य रूप से मौजूद रहेगा। प्रकटीकरण उपरोक्त संबंधित पार्टी श्रेणियों में से प्रत्येक के कुल तक सीमित रहेगा और वर्ष के अंत की स्थिति के साथ-साथ वर्ष के दौरान अधिकतम स्थिति से संबंधित होगा।
- लेखांकन मानक सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होते हैं। लेखांकन मानक राज्य-नियंत्रित उद्यमों को छूट देता है अर्थात्, राष्ट्रीयकृत बैंकों को अन्य संबंधित पार्टियों के साथ अपने लेनदेन से संबंधित कोई भी प्रकटीकरण करने से जो राज्य नियंत्रित उद्यम भी हैं। इस प्रकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने लेन-देन का खुलासा सहायक कंपनियों के साथ-साथ उनके द्वारा प्रायोजित आरआरबी के

साथ करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्हें अन्य संबंधित पक्षों के साथ अपने लेनदेन का खुलासा करना होगा।

- iv) गोपनीयता संबंधी प्रावधान : यदि संबंधित पार्टियों की उपरोक्त किसी भी श्रेणी में केवल एक संबंधित पार्टी इकाई है, तो कोई भी प्रकटीकरण ग्राहक की गोपनीयता के उल्लंघन के समान होगा। एस 18 के संदर्भ में, प्रकटीकरण आवश्यकताएं उन परिस्थितियों में लागू नहीं होती हैं जब इस तरह के खुलासे प्रदान करने से रिपोर्टिंग उद्यम की गोपनीयता के कर्तव्यों का उल्लंघन होगा, जैसा कि विशेष रूप से कानून के संदर्भ में, नियामक या इसी तरह के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक है। इसके अलावा, यदि किसी उद्यम को नियंत्रित करने वाला कोई सांविधिक या नियामक किसी उद्यम को कुछ ऐसी जानकारी का खुलासा करने से रोकता है, जिसका खुलासा करना आवश्यक है, तो ऐसी जानकारी का खुलासा न करने को लेखा मानकों का अनुपालन न करने के रूप में नहीं माना जाएगा। ग्राहकों के विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बैंकों के न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सामान्य कानून कर्तव्य के कारण, उन्हें इस तरह के प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां लेखा मानकों के तहत प्रकटीकरण संबंधित पार्टी की किसी भी श्रेणी के संबंध में समग्र प्रकटीकरण नहीं हैं, अर्थात् जहां संबंधित पार्टी की किसी भी श्रेणी में केवल एक इकाई है, वहां बैंकों को उस संबंधित पार्टी के साथ संबंध के अलावा उस पार्टी से संबंधित किसी भी विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

6. लेखांकन मानदण्ड 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में निवेशो हेतु लेखांकन

यह लेखांकन मानक सीएफएस में, किसी समूह की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर सहयोगी कंपनियों में निवेश के प्रभावों के निर्धारण के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को स्थापित करता है। उक्त मानक के लिए यह आवश्यक है कि किसी सहयोगी कंपनी में निवेश के लिए इक्विटी विधि के अंतर्गत सीएफएस में कुछ अपवादों के अधीन शामिल किया जाएगा। एसोसिएट शब्द को एक उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जो न तो सहायक कंपनी है और न ही निवेशक का संयुक्त उद्यम है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता के वित्तीय और/या परिचालन नीतिगत निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार के प्रभाव शेयर स्वामित्व, संविधि या समझौते से प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक शेयर स्वामित्व का संबंध है, यदि कोई निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेशकर्ता की मतदान शक्ति का 20 प्रतिशत या उससे अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से धारण करता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता कि मामला ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, यदि निवेशक सहायक कंपनियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेशकर्ता की मतदान शक्ति के 20 प्रतिशत से कम धारण करता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, जब तक कि इस तरह के प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। किसी अन्य निवेशक द्वारा पर्याप्त या बहुमत स्वामित्व रखने से जरूरी नहीं कि किसी निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होने से रोकता हो।

मुद्दा यह है कि क्या किसी बैंक द्वारा किसी उद्यम में ऋण का इक्विटी में रूपांतरण, जिसके आधार पर बैंक के पास 20 प्रतिशत से अधिक है, के परिणामस्वरूप एस 23 के उद्देश्य के लिए निवेशक-सहयोगी संबंध बनेंगे। ऊपर से यह स्पष्ट है कि हालांकि एक बैंक अपने अग्रिमों की संतुष्टि में उधारकर्ता इकाई में 20 प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति प्राप्त कर सकता है, यह प्रदर्शित करने में सक्षम हो सकता है कि उसके पास महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है क्योंकि अधिकारों का प्रयोग किया गया है इसके द्वारा प्रकृति में सुरक्षात्मक हैं और सहभागी नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में, इस तरह के निवेश को

इस लेखा मानक के तहत सहयोगी में निवेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए परीक्षण केवल निवेश का अनुपात नहीं होगा बल्कि महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने की शक्ति हासिल करने का इरादा होगा।

7. लेखांकन मानदण्ड 24 – बन्द हो रही गतिविधियाँ

यह मानक परिचालनों को समाप्त करने के बारे में जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए सिद्धांत स्थापित करता है। उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंक की शाखाओं के विलयन /बंद करने को परिचालन की समाप्ति न समझा जाए तथा इसलिए यह लेखा मानक उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंक की शाखाओं के विलयन /बंद किए जाने पर लागू नहीं होगा इस मानक के अंतर्गत प्रकटीकरण केवल तब आवश्यकता होगी जब: i) परिचालन की समाप्ति के परिणाम स्वरूप बैंकों द्वारा आस्तियों की प्राप्ति तथा देयताओं की कटौती हुई हो अथवा किसी परिचालन के समाप्त करने के निर्णय जिससे उपर्युक्त प्रभाव होगा को बैंकों ने अंतिम रूप दिया है, तथा ii) समाप्त परिचालन अपनी संपूर्णता में महत्वपूर्ण है।

8. लेखांकन मानदण्ड 25 – अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन

यह मानक अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की न्यूनतम सामग्री और अंतरिम अवधि के लिए पूर्ण या संक्षिप्त वित्तीय विवरणों के लिए मान्यता और मापन के सिद्धांतों को निर्धारित करता है। लिस्टिंग समझौतों की शर्तों के अनुसार सूचीबद्ध बैंकों द्वारा किए जाने वाले प्रकटन एएस 25 के तहत परिकल्पित अंतरिम रिपोर्टिंग के समान नहीं होंगे और इस प्रकार सूचीबद्ध बैंकों के लिए निर्धारित त्रैमासिक रिपोर्टिंग के लिए एएस 25 अनिवार्य नहीं है। तथापि, एएस 25 के तहत निर्धारित मान्यता और मापन सिद्धांतों का अनुपालन ऐसी त्रैमासिक रिपोर्टों के संबंध में किया जाएगा। खातों की छमाही समीक्षा सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू होगी चाहे ऐसे बैंक सूचीबद्ध हों या नहीं। बैंक इस उद्देश्य के लिए पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (या आरआरबी के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा निर्धारित प्रारूप का पालन करेंगे।

9. लेखांकन मानदण्ड 26 – अमूर्त संपत्तिया

यह मानक ऐसी अमूर्त आस्तियों के लिए लेखांकन विधि निर्धारित करता है जो विशेष रूप से किसी अन्य लेखांकन मानक के आधार पर नहीं निपटाया जाता है। ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों के संबंध में जिसे बैंक के उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है और कुछ समय के लिए जिनका उपयोग में रहने की उम्मीद है, इस मानक में निर्धारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में विस्तृत मान्यता और परिशोधन सिद्धांत में इन विषयों को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है और बैंकों द्वारा इसका पालन किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि एएस 26 के अनुपालन में बैंकों के तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त और शामिल अमूर्त आस्तियों के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 15 (1) के प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बैंकों को किसी भी लाभांश की घोषणा करने से तब तक मना किया गया है, जब तक कि मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किए गए किसी भी व्यय को तुलन पत्र में शामिल नहीं किया जाता है। अपनी लेखा पुस्तकों में किसी भी अमूर्त आस्तियों को शामिल करते समय लाभांश का भुगतान करने के इच्छुक बैंकों को केंद्र सरकार से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) से छूट लेनी होगी।

⁶ लेखा परीक्षकों द्वारा खातों की छमाही समीक्षा केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित की गई है।

10. लेखांकन मानदण्ड 27 - संयुक्त उपक्रम में हित का वित्तीय प्रतिवेदन

यह मानक संयुक्त उद्यमों में हितों के लेखांकन और संयुक्त उद्यम आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय तथा निवेशकों के वित्तीय विवरणों में खर्चों की रिपोर्टिंग में लागू किया जाता है, चाहे संयुक्त उद्यम द्वारा संचालित गतिविधियां किसी भी संरचना या रूप के हों। यह मानक व्यापक रूप से संयुक्त उद्यमों की तीन प्रकार में अर्थात् संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन, संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की पहचान करता है। संयुक्त रूप से नियंत्रित ऐसे संस्थाओं के मामले में, जहां बैंकों को सीएफएस प्रस्तुत करना होता है, संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखांकन इस मानक के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। संयुक्त उद्यमों के संबंध में, संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन और संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों के लिए यह लेखा मानक एकल वित्तीय विवरणों के साथ-साथ सीएफएस दोनों के लिए लागू होता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि हालांकि लेखांकन मानक के पैराग्राफ 26 में यह निर्धारित किया गया है कि एकल वित्तीय विवरणों के उद्देश्य से, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश लेखांकन मानक 13 के अनुसार किया जाना है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इस प्रकार के निवेश को बैंकों के एकल वित्तीय विवरणों में परिलक्षित किया जाना है क्योंकि लेखांकन मानक 13 बैंकों पर लागू नहीं होता है। बैंकों द्वारा प्रायोजित आरआरबी को सहयोगी संस्था माना जाएगा और आरआरबी में निवेश के लिए एस 27 लागू नहीं होगा। हालांकि, आरआरबी में निवेश को लेखांकन मानक 23 के प्रावधानों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में किया जाएगा।

11. लेखांकन मानदण्ड 28 - सम्पत्तियों में व्यवधान

यह मानक उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जो किसी उद्यम के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए लागू होता है कि उसकी संपत्ति उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं की जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मानक माल-सूची, निवेश और अन्य वित्तीय आस्तियों जैसे ऋण और अग्रिमों पर लागू नहीं होगा और जहां तक नियत आस्तियों का संबंध है तो सामान्य रूप से यह बैंकों पर लागू होगा। यह मानक सामान्य रूप से वित्तीय पट्टा आस्तियों और गैर- बैंकिंग दावों के निपटान में अधिग्रहीत आस्तियों पर तभी लागू होगा जब किसी इकाई की हानि के संकेत स्पष्ट होते हैं।